न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : रिव्यू प्रार्थना पत्र आर्म्स एक्ट 21/2013/भीलवाड़ा (2013/00053)

भंवरलाल पुत्र मोहन लाल बांगड़ निवासी ग्राम मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरूद्ध निर्णय तत्कालीन संभागीय आयुक्त, अजमेर
दिनांक 16–5–2013

———

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 16-3-2020

रिव्यू प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम 12 बोर डीबी संख्या 29354 ए/9 एम जी शस्त्र का अनुज्ञा बी0एच0 एल/20/85 जारी किया गया था जो कि दिनांक 31–12–2010 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष 31–12–2013 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक व उप जिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा से रिपोर्ट चाही गई जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होने व आचरण अच्छा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। अन्त में लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंस आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने की अनुशंषा की थी। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा व उप जिला मजिस्ट्रेट बनेड़ा व थानाधिकारी बनेड़ा की रिपोर्ट को दरकिनार कर आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

26–5–2011 के विरूद्ध संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने अपीलार्थी की अपील को निर्णय दिनांक 16–5–2013 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान रिव्यू प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन संभागीय आयुक्त के समक्ष यह बिन्दु उठाया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दे दिया गया है, को आधार मानकर अपीलार्थी की आपत्ति को निरस्त कर दिया जबकि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 26–5–2011 आदेश स्पीकिंग नहीं है। उक्त आदेश में लोक शांति एवं जन सुरक्षा को किस प्रकार प्रार्थी के हथियार से खतरा है इस बाबत कोई निष्कर्ष नहीं दिया है जबकि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) (बी) में प्रावधान है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने कभी भी लाईसेंस शुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13–4–2013 में प्रकरण संख्या 227/92 धारा 147, 443, 447, 425 आईपीसी में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में जैरे ट्रायल तथा प्रकरण संख्या 137/99 धारा 427, 448 आईपीसी दर्ज होकर न्यायालय से सजा होना अंकित किया है। इसके ठीक विपरीत थानाधिकारी पुलिस थाना बनेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा विचाराधीन नहीं होने तथा किसी भी प्रकरण में दण्डित नहीं होने की रिपोर्ट की है। थानाधिकारी की रिपोर्ट अधिकृत है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के साथ सजा होने का न्यायालय का निर्णय तथा जो मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है उसकी प्रति भी रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिग अथॉरिटी को उप धारा 5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। माननीय इलाहाबाद होईकोर्ट ने 2006 (3) किमीनल

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

कोर्ट केस पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पिटीशन नम्बर 13164/2003 व दिनांक 8–11–2005 विरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें सम्मिलित होने पर भी आयुद्ध लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–02–2006 के विन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले विन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित विन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने का प्रावधान है। अपीलार्थी के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तथा न ही दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107, 110, 115 (3) या 151 के तहत शांति भंग करने का कोई मुकदमा ही दर्ज हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 26–5–2011 व तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर का आदेश दिनांक 16–5–2013 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 227/92 में धारा 147, 447, 425 आईपीसी में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में जेर ट्रायल होना तथा प्रकरण संख्या 137/99 में धारा 427, 448 आईपीसी के तहत संबंधित न्यायालय में सजा हुई है। उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा व जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एवं अपीलार्थी के शारीरिक रूप से अक्षम होने को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी की अपील आदेश दिनांक 16–5–2013 द्वारा निरस्त की है जो विधिसम्मत है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी के नाम 12 बोर डीवी संख्या 29354 ए/9 एम जी शस्त्र का अनुज्ञा बी0एच0 एल/20/85 जारी किया गया था जो कि दिनांक 31–12–2010 तक नवीनीकृत था। अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष इस अनुज्ञा पत्र का 01–01–2011 से 31–12–2013 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी तत्समय कार्यालय में उपस्थित हुआ था किन्तु उनके द्वारा काई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी ने

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

शारीरिक रूप से भी अक्षम होने का उल्लेख किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 227/82 में धारा 147, 447, 425 आईपीसी में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में जेर ट्रायल होना तथा प्रकरण संख्या 137/99 में धारा 427, 448 आईपीसी के तहत संबंधित न्यायालय में सजा हुई है। तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर ने लोक शांति व जन सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 16–5–2013 द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 26–5–2011 यथावत रखा गया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तत्कालीन संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–5–2013 विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner